कार्यालय नगर परिषद्, गढ़वा

पत्रांक .....

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, गढ़वा।

सेवा में,

निदेशक
सरयु बाबू इंजीनियर्स
इंडिया प्राइभेट लिमिटेड

गढ़वा, दिनांक.....

विषय :– सोनपुरवा स्थित खाता सं0–40, प्लौट सं0–163 पर निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)Vertical III के आवास के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक JH/SBENG/270/20 दिनांक 10.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि WP(C) No 6030/2019 दिनांक 02.12.2019 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में याचिका कर्ता उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी गढ़वा के न्यायालय में नये सिरे से आवेदन देकर मामला की सुनवाई हेतु कहा गया तथा वाद के निस्तार तक ग्राम सोनपुरवा के खाता संख्या 40, प्लौट सं 163 Status Quo बनाए रखने का निदेश प्राप्त हुआ था।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी गढ़वा के न्यायालय में चल रहे वाद सं0 11/2019–20 अजिमुल हक अंसारी एवं अन्य बनाम राज्य वाद में पारित आदेश दिनांक 06.06.2020 में उक्त भूमि पर आवेदकगण का दावा खारिज किया जा चुका है।

अतः सोनपुरवा स्थित खाता सं0–40, प्लौट सं0–163 पर निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)Vertical III के आवास निर्माण कार्य पुनः 07 (सात) दिनों के अंदर प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। इस भूमि का मापी एवं नक्शा अंचलाधिकारी द्वारा 21.06.2017 को ही निर्गत किया गया था जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

विश्वासभाजन
ह0/–

अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, गढ़वा।

अनुलग्नक :– 1. न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा विविध वाद सं0 11/2019–20 अजिमुल हक अंसारी एवं अन्य बनाम राज्य में पारित आदेश की छाया प्रति।
2. अंचल अधिकारी गढ़वा द्वारा खाता सं0 40 एवं प्लौट 163 का नक्शा की छाया प्रति।

ज्ञापांक 742 दिनांक 19/06/20

प्रतिलिपि :– Sanjay Kumar Upadhyay,Govt. Civil Contractor Corporate Office: T/2, 3rd floor, Orchid Building opp, RIMS Main Gate, Bariatu Road, Ranchi-834009(Jharkhand) को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उपायुक्त, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– परियोजना निदेशक, जुडको लि0, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

17.6.20

अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–
कार्यपालक पदाधिकारी,
17/06/2020 नगर परिषद, गढ़वा।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	न्यायालय उपायुक्त –सह– जिला दंडाधिकारी, गढ़वा विविध वाद सं0–11/2019–2020 अजिमूल हक अंसारी एवं अन्य बनाम् राज्य आदेश	
06.06.2020	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा W.P.(C)No. 6030/19 में दिनांक–02.12.2019 को पारित आदेश के आलोक में श्री राहुल कुमार दास, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा अजिमूल हक अंसारी वल्द स्व0 अमरूला मियां एवं अन्य सभी ग्राम–सोनपुरवा, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा की ओर से दिया गया आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा W.P.(C) No. 6030/19 में दिनांक–02.12.2019 को पारित आदेश में निहित निदेश के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए आवेदकगण को सूचना निर्गत किया गया एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गढ़वा, अंचल अधिकारी, गढ़वा एवं अपर समाहर्त्ता, गढ़वा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। श्री राहुल कुमार दास, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा वाद के आवेदकगण अजिमूल हक अंसारी एवं अन्य की ओर से दायर आवेदन में कहना है कि ग्राम–सोनपुरवा, थाना–गढ़वा के खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–163 रकवा 4.68 एकड़ भूमि हाल सर्वे में साम्मिलात मालिकान गैरमजरूआ मालिक दर्ज है। रिभिजनल सर्वे के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात खाता संख्या–40 प्लॉट सं0–163 का कुल रकवा 4.68 एकड़ में से 2.25 एकड़ भूमि अन्य भूमि के साथ वर्ष 1945 में भूतपूर्व जमीन्दार से कुर्बान मियां की पत्नी मौली बीबी को बंदोबस्ती में प्राप्त हुआ एवं उसी खाता सं0–40 प्लॉट संख्या–163 का रकबा 2.25 एकड़ भूमि अलिम मियां की पत्नी बतुलन बीबी को बंदोबस्ती में प्राप्त है। बंदोबस्ती के पश्चात से ही बंदोबस्तधारी उक्त भूमि पर दखल कब्जा में आये एवं जमीन्दार को लगान भुगतान करने लगे। बाद में बतुलन बीबी द्वारा निबंधित केवाला संख्या–1404 से दिनांक–07.05.1949 को ग्राम–सोनपुरवा के खाता सं0–40 प्लॉट सं0–163 का कुल रकवा 4.68 एकड़ में से 2.25 एकड़ भूमि कुर्बान मियां के साथ अन्तरित कर दिया गया। उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात कुर्बान मियां ग्राम–सोनपुरवा के खाता सं0–40 प्लॉट सं0–163 का कुल रकवा 4.68 एकड़ में से 4.50	

मिया की रैयती भूमि है एवं कुर्बान [illegible] [illegible] रैयती भूमि उत्तराधिकार स्वरूप उनके वारिसान जो इस वाद [illegible] आवेदक हैं को प्राप्त हो गया। बुझारत में प्रश्नगत भूमि पर कुर्बान मियां का दखल कब्जा पाया गया। परन्तु जानकारी होने के बाद भी नगर परिषद के पदाधिकारी द्वारा नाजायज रूप से आवेदकगण के शान्तिपूर्ण दखल कब्जा की भूमि पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। दाखिल तथ्य कथन में उन्होंने आवेदकों की रैयती भूमि जो प्लॉट सं0–163 की है, पर प्रस्तावित प्रधानमंत्री शहरी आवास निर्माण योजना को स्थायी रूप से निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है ।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गढ़वा, अंचल अधिकारी, गढ़वा एवं अपर समाहर्त्ता, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन का आवलोकन किया। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदनानुसर गढ़वा नगर परिषद में PMAY (U) के अंतर्गत Vertical I एवं III में आवास निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को ग्राम–सोनपुरवा के खाता संख्या–40 प्लॉट सं0–163 का 2.00 एकड़ एवं खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–99 का–2.00 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है, जिसपर श्री संजय कुमार उपाध्याय, Government Civil Contractor को कार्यादेश दिया गया था, जिनके द्वारा कार्यादेश के उपरांत उक्त स्थल पर चाहरदीवारी हेतु फेन्सिंग का कार्य किया जा चुका है। उनके द्वारा प्रतिवेदन में उक्त स्थल पर अजिमूल हक अंसारी के दावा को खारिज कर PMAY(U) के तहत आवास निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन के साथ–साथ अंचल अधिकारी, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि ग्राम–सोनपुरवा, थाना–गढ़वा के खाता संख्या–40 प्लॉट सं0–163 का है जो कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की है, जिसका खतियानी रकबा–4.68 एकड़ है। अंचल अधिकारी, गढ़वा के भू–हस्तांतरण वाद संख्या–22/2017–18 से ग्राम–सोनपुरवा के खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–163 का रकवा 2.00 एकड़ एवं खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–99 का रकवा 2.00 एकड़ सरकारी भूमि का हस्तांतरण सक्षम स्तर से नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत Vertical-I एवं Vertical-III के आवास निर्माण हेतु किया गया है। प्रतिवेदनानुसार हस्तांतरण की प्रक्रिया के दौरान आम इस्तेहार का प्रकाशन अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा दिनांक–21.06.2017 को किया गया था परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त हस्तांतरण के विरूद्ध कोई आपति दर्ज नहीं कराई गई। आवेदकगण द्वारा हल्का कार्यालय के मांग पंजी II के पृष्ठ संख्या–103/1 पर प्रविष्टि की गई विवरणी के आधार पर स्वामित्व का [illegible] किया जा रहा है, जबकि उक्त पृष्ट पर श्री कुर्बान मियां, पिता–मालू मियां के नाम की प्रविष्टि की गई है एवं भूमि

सं0 40 प्लॉट सं0 163 का है, आवेदकगण को उनके पूर्वज कुर्बान मियां से प्राप्त है। प्रश्नगत प्लॉट सं0 163 का कुल खतियानी रकबा 4.68 एकड़ में से 2.25 एकड़ मौली बीबी जौजे कुर्बान मियां एवं 2.25 एकड़ बतुलन बीबी जौजे अलीम मियां को तत्कालीन जमींदार केदारनाथ सिंह से बंदोबस्ती में प्राप्त है। बाद में बतुलन बीबी द्वारा बंदोबस्ती में प्राप्त भूमि 2.25 एकड़ केवाला सं0 1404 दिनांक– 07.05.1949 से कुर्बान मियां के साथ बिकी कर दिया गया। तत्पश्चात् जमींदारी उन्मूलन के बाद उक्त भूमि का रिर्टन दाखिल किया गया एवं सरकारी सिरिस्ते में विधिवत कुर्बान मियां के नाम सें मांग कायम होकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत होने लगा। तर्क में आगे उनका कथन है कि प्रश्नगत भूमि आवेदकगण की रैयती भूमि है जिसपर वे खेती करते है ।

राज्य की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता के तर्क का खंडन करते हुए मौखिक समर्पण किया गया कि प्रश्नगत भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैर मजरूआ मालिक है जिसपर आवेदकगण का दावा निराधार है। प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ भूमि है, फलस्वरूप उक्त भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार आवेदकगण का रैयती भूमि नहीं कहा जा सकता है। तर्क में आगे उनका कथन है कि प्रश्नगत भूमि जो गैरमजरूआ मालिक है, का कुर्बान मियां के नाम मांग कायम होने का कोई आधार आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा तर्क के कम में नहीं दिखाया जा रहा है। इस स्थिति में उनका यह कथन कि सरकारी सिरिस्ते में विधिवत मांग कायम किया गया है, उचित नहीं कहा जा सकता है। तर्क में उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि पर आवेदकगण के दावा को खारीज करने हेतु अनुरोध किया गया।

इस प्रकार आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता एवं सहायक सरकारी विज्ञ अधिवक्ता के तर्क को सुनने, आवेदकगण की ओर से दिया गया आवेदन एवं न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध दाखिल तथ्य कथन वो कागजातों के साथ–साथ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गढ़वा वो अंचल अधिकारी, गढ़वा एवं अपर समाहर्त्ता, गढ़वा से प्राप्त जाँच–पतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत Vertical-I एवं Vertical-III के आवास निर्माण से संबंधित भूमि ग्राम–सोनपुरवा थाना, गढ़वा के खाता सं0–40 प्लॉट संख्या–163 रकवा 2.00 एकड़ एवं खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–99 रकवा 2.00 एकड़ है, जिसमें खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–163 की भूमि आवेदकगण द्वारा अपना रैयती भूमि बताया जा रहा है। अपने दावे के समर्थन में आवेदकगण का कथन है कि ग्राम–सोनपुरवा थाना–गढ़वा के खाता संख्या–40 प्लॉट संख्या–163 कुल रकवा 4.68 एकड़ है जो गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की है एवं उक्त भूमि में से ही 4.50 एकड़ भूमि उनके पूर्वज कुर्बान मियां को भूतपूर्व जमीन्दार से बंदोबस्ती में प्राप्त है, जिसपर वे दखल कब्जा में है एवं सरकारी सिरिस्ते में लगान अदा करते आ रहे हैं। अपने दावे के समर्थन में उनके द्वारा रिर्टन एवं केवाला संख्या 1404 दिनांक 07.05.1949 का प्रमाणित प्रति, दिनांक 17.09.2019 को ऑन

किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कुर्बान मियाँ के नाम पर प्रश्नगत भूमि का चल रहा मांग कल्पित एवं निराधार है। अभिलेखों एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा से निम्न तथ्य स्पष्ट हुए जिससे प्रश्नगत भूमि पर आवेदक के दावे की पुष्टि नही होती है:–

1.प्लॉट नं0–163 का कुल रकबा 4.68 एकड़ बताया गया है तथा आवेदक द्वारा उसके हिस्से के रकबा 4.50 एकड़ का कोई नक्शा प्रस्तुत नही किया गया जो जमींदार द्वारा जारी हो ।

2. यदि प्लॉट नं0–163 की बंदोबस्ती 4.50 एकड़ थी तो दाखिल रिटर्न (प्रमाणिकता संदेह से परे नही) के पृष्टों में कुल रकबा 4.05 एकड़ कैसे वर्णित है ।

3. प्रस्तुत एक मात्र जमींदारी लगान रसीद में खाता–40 का कोई जिक नही है बल्कि खाता 50 वर्णित है तथा रकबा का जिक नही है ।

4. प्रस्तुत केवाला में विकी किये गये भू–खंड 2.25 एकड़ का लगान 3 रू0 वर्णित है तो पंजी II में कुल 4.35 एकड़ का लगान 1 रू0 कैसे है ।

5. आवेदकगण के द्वारा वर्ष 1949 से 2019 के बीच का कोई लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया ।

6. पंजी II में कुर्बान मियां के होल्डिंग पृष्ठ में मात्र एक लगान रसीद कमांक 196936 (6.12.1974) का जिक है वो भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी ।

7. पंजी II के संबंधित होल्डिंग पृष्ठ के गहन जाँच से स्पष्ट हो रहा है कि खाता एवं प्लॉट उपर से नीचे लिखना था जबकि खाता प्लॉट को बायें से दॉये लिखा गया है साथ ही वर्णित प्लॉटों के लिये प्रयुक्त स्याही के अवलोकन से अलग–अलग लेखनी का प्रयोग स्पष्ट उजागर है ।

8. होल्डिंग पृष्ठ में दर्ज रकबा का आदेश किस पदाधिकारी द्वारा निर्गत था या किस कर्मी द्वारा किस आदेश के तहत् दर्ज किया गया, अंकित नही है ।

9. दाखिल जमींदारी रिटर्न के प्रति में बॉये कॉलम में दर्ज खाता 40 प्लॉट 164 के विरुद्ध प्लॉट 163 का आंशिक रकबा दर्ज करके दिखाया है जिससे समर्पित रिटर्न संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः इसे पूर्ण रूप से मान्य नही किया जा सकता । उसी प्रकार दूसरे हिस्से के रकबा (1 ए0 80 डी0) के लिये जिस केवाला संख्या 1404 का जिक है उस केवाला में रकबा 2 ए0 25 डी0 अंकित है । अतः रिटर्न की प्रमाणिकता सिद्ध नही होती है ।

10. आवेदकगण द्वारा स्वयं से बंदोबस्तीधारियों एवं होल्डिंग रैयत से अपने वंश को दर्शाते हुए वंशावली भी प्रस्तुत नही की गई है । आवेदकगण का कथित बंदोबस्तीधारी के साथ रिश्ता स्पष्ट नही किया है न ही प्लॉट में किसका कितना हिस्सा है वह भी स्पष्ट नही किया है

इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि वाद से संबंधित प्रश्नगत भूमि जो ग्राम–सोनपुरवा थाना [illegible] के खाता संख्या–40 प्लॉट

06/06/20